अपील क्रमांक 209/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /02/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 209/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री अभिषेक पाण्डेय, नेहरू नगर, जब्बल गली, अंदर गली में सुमिरन मोबाईल के बगल वाली गली, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिन–495001 मो.नं. 9424126280	विरूद्ध	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.02.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा ऑनलाईन आई.डी. क्रं 320250210001358 दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 28.02.2025 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "रायपुर में पदस्थ समस्त अभियंताओं सहायक अभियंताओं और सहायक आयुक्त, अपर आयुक्तों (सभी लोक सेवक) की ज्वाइनिंग की तारीख पदोन्नति का विवरण (सेवा रिकाई) उनकी संपत्ति (चल–अचल) और देनदारियों की घोषणा के रिकार्ड संबंधी दस्तावेजों का सर्व प्रथम अवलोकन कराकर वांछितसत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु" दिनांक 23.01.2025 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने से असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन आई.डी. क्र. 320250210001358, दिनांक 10.02.2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है "अधिनियम के अनुरूप इनका जवाब नहीं है और अधूरा एंव भ्रामक जानकारी विद्वान ज.सू.अ. द्वारा दी गयी है विभाग प्रमुख के पास उक्त जानकारी नहीं होना कहना सरासर गलत है अतः चाही गयी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए इनके द्वारा बिलासपुर जिले के के लिये भी यही जानकारी उपलब्ध करायी गई है"।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2025 को सुनवाई में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250123004813, दिनांक 23.01.2025, जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 05.02.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर एवं मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/26/छ.ग./2025/1354, दिनांक 06.02.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु दोनों मुख्य अभियंताओं को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण में की गयी कार्यवाही अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप है? अथवा अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है?

6. अपीलार्थी ने अपने आवदेन "रायपुर में पदस्थ समस्त अभियंताओं सहायक अभियंताओं और सहायक आयुक्त, अपर आयुक्तों (सभी लोक सेवक) की ज्वाइनिंग की तारीख पदोन्नति का विवरण (सेवा रिकार्ड) उनकी संपत्ति (चल–अचल) और देनदारियों की घोषणा के रिकार्ड संबंधी दस्तावेजों का सर्व प्रथम अवलोकन कराकर वांछित सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु" आवेदन प्रस्तुत किया था। विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त, अपर आयुक्त नामक कोई पद स्वीकृत नहीं हैं। "रायपुर में पदस्थ समस्त अभियंताओं, सहायक अभियंताओं से संबंधित जानकारी रायपुर स्थित लोक प्राधिकारियों के कार्यालय में संधारित होने से उक्त कार्यालय के जनसूचना अधिकारियों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं।

7. भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परिपत्र क्र. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंध सूचना मांगी गयी हो" के माध्यम से जारी मार्गदर्शन की कंडिका 3 (iii)का उद्धरण निम्नानुसारहै :–

> **3. (iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए यह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नही हैं, बल्कि सूचना के अलग–अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दें। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी "लोक प्राधिकरण विशेष" से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में "दूसरे लोक प्राधिकरण" का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में।**

8. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में इस कार्यालय की स्थापना शाखा द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर एवं मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित है। इसका आशय स्पष्ट है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य दो लोक प्राधिकारियों से संबंधित है। पूर्व में बिलासपुर जिले के संबंध में उपलब्ध करायी गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी का कथन है कि जानकारी स्थापना शाखा द्वारा उपलब्ध कराने पर आवेदक को उपलब्ध कराई गयी होगी, परंतु वर्तमान प्रकरण में स्थापना शाखा में जानकारी संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परिपत्र क्र. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निधारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/26/छ.ग./2025/1354, दिनांक 06.02.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु दोनों मुख्य अभियंताओं को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवदेक/अपीलार्थी को दी गयी सलाह अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत है।

.........3

9. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी"रायपुर में पदस्थ समस्त अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और सहायक आयुक्त, अपर आयुक्तों (सभी लोक सेवक) की ज्वाइनिंग की तारीख पदोन्नति का विवरण (सेवा रिकार्ड) उनकी संपत्ति (चल–अचल) और देन दारियों की घोषणा के रिकार्ड संबंधी दस्तावेजों का सर्व प्रथम अवलोकन कराकर वांछित सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु" का निकटतम संबंध अन्य 2 लोक प्राधिकारियों–मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर एवं मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित होने के कारण, भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शी परिपत्र क्र. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निधारित मार्गदर्शिका अनुसार, जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/26/छ.ग. /2025/1354, दिनांक 06.02.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु दोनों मुख्य अभियंताओं को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवदेक/अपीलार्थी को दी गयी सलाह, अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत होने के कारण प्रथम अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधितपक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./209/बो.प्र./नि.स./2025/1978 **नवा रायपुर, दिनांक 28/02/2025**

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री अभिषेक पाण्डेय, नेहरू नगर, जब्बल गली, अंदर गली में सुमिरन मोबाईल के बगल वाली गली, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिन–495001 मो.नं. 9424126280 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

28/2/25

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)